न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

सूचना का अधिकार अपील संख्या 03/2021

अपीलार्थीया	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
प्रतिभा चौहान पुत्री स्व. बालमुकुन्द चौहान,निवासी – मकराणा मौहल्ला, राणावत जी की पोल, बल्यू टरबन के पास वाली पोल, जोधपुर		लोक सूचना अधिकारी अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विरूद्ध आदेष दिनांक 25.08.2021 लोक सूचना अधिकारी (अति0संभागीय आयुक्त जोधपुर), कार्यालय हाजा

निर्णय

दिनांक नवम्बर,2021

अपीलार्थीया की ओर से प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीया के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 04.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कार्यालय हाजा में कार्यरत संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी) द्वारा दिनांक 06.02.2020 के लिये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र/आवेदन की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावाने बाबत निवेदन किया।

उक्त सूचना चाही जाने पर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी की ओर से जरिये पत्रांक एडीसी/सू0अ0/65/2021/65 दिनांक 25.8.21 के द्वारा उक्त सूचना बाबत अपीलार्थीया को यह सूचित किया कि ''संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय हाजा के द्वारा प्रस्तुत अवकाश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण उनके निजी से नियमानुसार देय नहीं है।''

अपीलार्थीया की अपील दिनांक 16.09.2021 को प्राप्त होने पर दिनांक 04.10.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई हेतु दिनांक 12.10.2021 नियत की जाकर लोक सूचना अधिकारी की संधारित पत्रावली तलब की गई एवं उनसे अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई तथा अपीलार्थीया को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया।

लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक 93 दिनांक 06.10.2021 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थीया का आवेदन दिनांक 03.8.2021 को कार्यालय में प्राप्त होने पर कार्यालय की स्थापना शाखा से दिनांक 6.2.2020 के अवकाश की छायाप्रति के साथ आदेशिका के पैरा 06 से 12 में चाही गई सूचना व्यक्तिगत सूचना है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 में उक्त प्रकार की सूचना तीसरे पक्ष की सूचना के सम्बन्ध में प्रावधान निर्धारित किये हुए होने तथा धारा 11 के अनुसार यदि कोई लोक सूचना अधिकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई ऐसी सूचना प्रकटन करना चाहता है तो सूचना प्रकटन से पूर्व तीसरे पक्ष को इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करने, सम्बन्धित टिप्पणी होकर प्राप्त हुई थी।

जिस पर प्रार्थीया को पैरा संख्या 07 से 12 की उक्त टिप्पणी अनुसार अवकाश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण तीसरे पक्ष के निजी होने से उक्त सूचना नियमानुसार देय नहीं होने बाबत उल्लेख करने के कारण अंकित कर जरिये पत्रांक 65 दिनांक 25.08.2021 को अपीलार्थीया को उपरोक्त सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक के प्रेषित की जा चुकी है अतः अपीलार्थीया की अपील निरस्त की जावें।

हमने अपीलार्थीया की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधि., 2005 की धारा 8 एवं 11 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलार्थीया को उनके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की सूचना दिया जाना बाधित होने/तीसरे पक्ष की निजी होने (संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा के दिनांक 06.02.20 के आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण उनके निजी होने से) से सूचना का अधिकार अधि., 2005 की धारा 08 एवं 11 में दिये गये प्रावधानों के तहत सूचना देय नहीं होने का उल्लेख करते हुए अपीलार्थीया को सूचित किया, वह सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनुकूल प्रतीत होता है जिससे यह अपील सारहीन होना पाई जाने से अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थीया को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,